

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि, में
 अपीलीय अधिकारी श्री के.के.भौरासे, महाप्रबंधक (मा.सं.)

(अपील प्र.क. 5/2022 दिनांक 24.08.2022)

01-01/अ.प्र.क./05/2022/1090

रायपुर, दिनांक 19 SEP 2022

श्री विशाल सिन्हा अपीलार्थी

विरुद्ध
 श्री पंकज सिंह परमार उत्तरवादी
 जनसूचना अधिकारी

--: आदेश :-
 (दिनांक 19/09/2022 को पारित)

अपीलार्थी श्री विशाल सिन्हा ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)—दो, के निर्णय दिनांक 02.08.2022 से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) — प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :-

(i)	सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गयी जानकारी ।	जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रीकल) की चयनित सूची 30.06.2022 को जारी की गई है, जिनके चयनित उम्मीदवारों की कुल प्राप्तांक तथा नामलाईज्ड (Normalised) अंक तथा परीक्षा की तिथि 5,6 एवं 10 जनवरी 2022 की परीक्षा में किस उम्मीदवार (Candidate) की नियुक्ति हुई है। यह जानकारी प्रदान करें कि Cut Off Mark कितना रहा तथा इसका निर्धारण किस प्रकार किया गया।	
(ii)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी की अपील व कारण :-	जन सूचना अधिकारी द्वारा भ्रामक जानकारी दिया गया है कि कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पद पर भर्ती वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अतः प्रदान किया जाना संभव नहीं है। जिससे क्षुब्ध होकर प्रथम अपील प्रस्तुत है। अतः मुझे चाही गयी जानकारी/दस्तावेज निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए।	
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि	निर्धारित तिथि	कार्यवाही विवरण :-
		15.09.2022	जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। दोनों के तर्क कथन सुने गए। अतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न हुई।
(iv)	सूचनाधिकार के अंतर्गत जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में की गयी कार्यवाही तथा तर्क :-	अपीलार्थी का आवेदन धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरित प्रकरण के तहत उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)—एक, छ.ग.स्टे. पॉ.डि.कं.लिमि, रायपुर के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। तत्संबंध में तर्क/कथन है कि अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र क्रमांक 254 दिनांक 02.08.2022 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पद पर भर्ती वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अतः जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। तथापि उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् आपके द्वारा नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर आपको सूचनाधिकार में निहित प्रावधानों के अंतर्गत जानकारी/दस्तावेज प्रदान किए जा सकेंगे।	

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन समयावधि में कनिष्ठ अभियंता पद पर भर्ती प्रक्रियाधीन थी। अतः अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। चूंकि वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता पद पर भर्ती पूर्ण हो चुकी है। अतएव भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारियों पॉवर कंपनी के वेबसाइट WWW.CSPCL पर उपलब्ध है। अपीलार्थी द्वारा वांछित परीक्षा दिनांक 05, 06 एवं 10 जनवरी 2022 की परीक्षा में किस उम्मीदवार की नियुक्ति हुई है एवं Cut Off Mark की जानकारी पॉवर कंपनी के वेबसाइट पर उपलब्ध है। जहाँ से अपीलार्थी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सूचनाधिकार के अंतर्गत सूचना जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में है, की मांग इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं की जानी है। यद्यपि Cut Off Mark निर्धारण किस प्रकार किया गया है कि जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। तथापि चयनित उम्मीदवारों की कुल प्राप्तांक तथा नामलाईज्ड अंक संबंधी जानकारी परध्यवित्त से संबंधित है, जिसे धारा 8(1)(f) के अंतर्गत देने की बाध्यता नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 10044/2010 अन्य विरुद्ध दिनांक 13.11.2019 CPIO, Supreme Court Of India V. Subhash Chandra Agarwal के प्रकरण में यह लेख किया गया है कि Reading of the aforesaid judicial precedents, in our opinion, would indicate that personal records, including name, address, physical, mental and psychological status, marks obtained, grades and answer sheets, are personal information, अतः पारित निर्णय के अनुसार उक्त जानकारी प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सूचनाधिकार के अंतर्गत श्री योगेन्द्र पाल सिंह, कोरबा द्वारा आवेदन दिनांक 19.07.2019 के माध्यम से सहायक प्रबंधक (एच.आर.) भर्ती में साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवार का रोल नंबर, नाम तथा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का अंक एवं साक्षात्कार अंक की जानकारी की मांग की गयी थी। तत्संबंध में अपीलार्थी को उनके स्वयं के कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के अंक व साक्षात्कार के अंक, ST संवर्ग के कट ऑफ मार्क्स एवं साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों का नाम, रोल नंबर की जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। तथा भर्ती में साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवार का कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का अंक एवं साक्षात्कार की अंक की जानकारी को धारा 8(1)(g) के अंतर्गत लोकहित में नहीं होने से जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। तत्संबंध में अपीलार्थी श्री योगेन्द्र

		पाल सिंह द्वारा माननीय छ.ग. राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर के समक्ष द्वितीय अपील प्र.क. A/431/2020 दर्ज किया गया था। अपील पारित आदेश दिनांक 27.05.2022 के माध्यम से माननीय सूचना आयोग द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की गयी है को उचित व अधिनियम के प्रावधानुसार मानते हुए दर्ज द्वितीय अपील प्र.क. A/431/2020 को नस्तीबद्ध किया गया है।
--	--	---

(3) - प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्कों से ऐसा प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा तत्कालीन समयावधि में जो कार्यवाही की गयी है वह तर्कसंगत है।

सूचनाधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रीकल) भर्ती परीक्षा के संबंध में जानकारी चाही गयी है। चूंकि भर्ती कार्यवाही की गोपनीयता के दृष्टिगत अपीलार्थी को तत्कालीन समयावधि में किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है जो विधिसंगत है। अतः जनसूचना अधिकारी द्वारा तालिका (IV) में जो कार्यवाही व तर्क दिया गया है वह स्वीकार योग्य है। उक्त तालिका में उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत अपीलार्थी परीक्षा दिनांक 05, 06 एवं 10 जनवरी 2022 की परीक्षा में किस उम्मीदवार की नियुक्ति हुई है एवं Cut Off Mark की जानकारी पॉवर कंपनी के वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। सूचनाधिकार के अंतर्गत सूचना जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में है, की मांग इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं की जानी है। यद्यपि Cut Off Mark निर्धारण किस प्रकार किया गया है कि जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। सूचनाधिकार के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना देना है, जो विद्यमान है। जहाँ तक चयनित उम्मीदवारों की कुल प्राप्तांक तथा नामलाईज्ड अंक संबंधी जानकारी का प्रश्न है उक्त जानकारी परव्यक्ति से संबंधित है, जो लोकहित में नहीं है। अतः धारा 8(1)(f) के अंतर्गत उक्त जानकारी देने की बाध्यता नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 10044/2010 अन्य विरुद्ध दिनांक 13.11.2019 CPIO, Supreme Court Of India V. Subhash Chandra Agarwal में पारित निर्णय एवं माननीय छ.ग. राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर के द्वितीय अपील प्र.क. A/431/2020 के दृष्टिगत जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

उल्लेखित तथ्यों के दृष्टिगत अपील प्र.क. 05/2022 दिनांक 24.08.2022 एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

(के.के.भौरासे)

अपीलीय अधिकारी

सह महाप्रबंधक (मा0सं0)

छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

दूरभाष क्रमांक- 0771-2574700

प्रतिलिपि :- (1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)-दो, छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर को सूचनार्थ।

(2) श्री विशाल सिन्हा, लाखेनगर, महादेव घाट रोड़, गुप्ता हार्डवेयर के पास, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC) छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि., रायपुर - उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।

पता :- सचिव, छ0 ग0 राज्य सूचना आयोग, अटल नगर, नवा रायपुर